न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 131/2019

युनाईटेड बैंक आफ इण्डिया शाखा शास्त्रीनगर, अजमेर जरिये अधिकृत अधिकारी, युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर–302001 राजस्थान

.............**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1). मैसर्स श्री सांई ग्रेनाईट साझेदारी फर्म, रजिस्टर्ड कार्यालय इण्ड0 प्लाट नं0 48, खसरा नं0 197/2, ग्राम दरगूड, तहसील रूपनगढ, जिला–अजमेर।

(2). श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण पीपलवा, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भदलिया, तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, साझेदार मैसर्स श्री सांई ग्रेनाईट

(3). श्री संजय कुमार पीपलवा पुत्र श्री हरदेवलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भदलिया, तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, साझेदार मैसर्स श्री सांई ग्रेनाईट

(4) श्री अजीत कुमार शर्मा पुत्र श्री भँवरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी राम मन्दिर के पीछे, ऊटडा रोड, कृष्णापुरी, मदनगंज–किशनगढ, जिला–अजमेर जमानती मैसर्स श्री सांई ग्रेनाइट

..............**अप्रार्थीगण / ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अनिल शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 01 फर्म जिसके अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 साझेदार है को दिनांक 11.10.2017 को रू. 1,75,00,000/– (अक्षरे एक करोड पिचेहत्तर लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम दरडून्द, तहसील रूपनगढ जिला–अजमेर स्थित औद्योगि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित भूमि खसरा संख्या 197/2 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 12278.14 वर्गमीटर भूमि में से विखण्डित भूखण्ड संख्या 48 क्षेत्रफल 2359.72 वर्ग मीटर को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.01.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 31.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–1,75,97,498.01/– (अक्षरे एक करोड पिचेहत्तर लाख सत्यानवे हजार चार सौ अठ्यानवे एवं 01 पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Sharma

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम दरडून्द, तहसील रूपनगढ जिला–अजमेर स्थित औद्योगि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित भूमि खसरा संख्या 197/2 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 12278.14 वर्गमीटर भूमि में से विखण्डित भूखण्ड संख्या 48 क्षेत्रफल 2359.72 वर्ग मीटर जिसकी सीमाऐं पूर्व में–80 फीट– रोड 40 फिट चौडा पश्चिम में–80 फीट–अन्य खसरा भूमि उत्तर में–320 फिट– औद्योगिक प्लॉट नं0 49, दक्षिण में– 315 फिट– प्लाट नं0 47 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

दिनांक- 31.10.2019

आदेश में लिपिकीय संशोधन

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.10.2019 में रही लिपिकीय त्रूटि के संशोधन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण के अवलोकन एवं परीक्षण उपरान्त उक्त आदेश में टंकण से शेष रही बंधक सम्पति भाग (ब) को निम्नानुसार अंकन किये जाने का संशोधन किया जाता है, जो कि उक्त आदेश का भाग समझाा जायेगा–

आदेश के प्रथम पृष्ठ के पैरा सं0 01 की पंक्ति सं0 07 में अंकित **2359.72 वर्ग मीटर** के आगे एवं द्वितीय पृष्ठ के पैरा सं0 02 की पंक्ति संख्या 11 में अंकित प्लाट नं0 47 के आगे "तथा ग्राम दरडून्द, तहसील रूपनगढ जिला–अजमेर स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित भूमि खसरा संख्या 183/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा अर्थात 8255.57 वर्गमीटर भूमि में से विखण्डित भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 1428.77 वर्ग मीटर जिसकी सीमाऐं पूर्व में–60 फीट–रोड 40 फिट चौडा पश्चिम में–122.4 फीट प्लॉट नं0 15, उत्तर में–157.10 फिट–रोड 40 फिट चौडा, दक्षिण में–152 फिट–प्लाट नं0 16" अंकित किया जाता है, जो कि उक्तानुसार उपरोक्त आदेश का भाग पढा, समझा व माना जायेगा।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner